न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–344 / 2026

(घोघरडीहा थाना कांड संख्या–78 / 2026; अन्तर्गत धाराः 274, 275 भा0द0वि0 एवं 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम विनोद पूर्वे

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
24.04.2026	आवेदक अभियुक्त **विनोद पूर्वे,** उम्र–35 वर्ष, पिता–मोहन पूर्वे, सा0–अमाही, थाना–घोघरडीहा, जिला–मधुबनी की ओर से घोघरडीहा थाना कांड संख्या 78 / 2026 (अन्तर्गत धाराः 274, 275 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 15.04.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार सिंह द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा झूठा मामला में फंसाया गया है। आवेदक के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक व्यस्क है एवं उनका का इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से झूठा, और मनगढ़नत है। आवेदक अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति एवं द्वेष के कारण इस वाद में झूठा फँसाया गया है। याचिकाकर्ता के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गयी है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है तथा तथा उसके फरार होने की कोई संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से आवेदक के पिता मोहन पूर्वे को 82.2 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब के साथ गिरफतार किया गया तथा उनके द्वारा बताया गया है कि बरामद शराब का कारोबार उसका बेटा आवेदक विनोद पूर्वे करता है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद भा0द0वि0 की धारा 274, 275 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 03.04.2026 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल द्वारा अपराहन समय करीब 13:45 बजे मोहन पूर्वे को उनके घर से गिरफतार किया गया तथा तलाशी के क्रम मे उनके घर के छत से कुल 82.2 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब बरामद किया गया। घटनास्थल से गिरफतार अभियुक्त मोहन पूर्वे द्वारा बताया गया कि शराब का कारोबार उसका बेटा विनोद पूर्वे करता है जो इस अग्रिम जमानत आवेदन के याचिकाकर्ता है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 03, 04 एवं 08 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से गिरफतार किए गए अभियुक्त द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि बरामद शराब का कारोबार याचिकाकर्ता के द्वारा किया जाता है, जिससे प्रथम दृष्टिया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। कांड दैनिकी की कंडिक 31 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे	
लगातार...		

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–344/2026

(घोघरडीहा थाना कांड संख्या–78/2026; अन्तर्गत धाराः 274, 275 भा0द0वि0 एवं 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम विनोद पूर्वे

24.04.2026	कोई अन्य आपराधिक इतिहास नही है परंत उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रकम तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **विनोद पूर्वे** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayan Kumar. 24.04.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर	